

दायर दिनांक :- 18.01.2021

निर्णय दिनांक :- 28.02.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :-

श्री बदीनारायण मीना(आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :-

35 / 2021 (GCMS 2021/138)

दायर दिनांक :-

18.01.2021



महेश पुत्र कजोड जाति बैरवा निवासी सिंगवाडा तहसील लवाण जिला दौसा।

(वादी)

बनाम

1. यन्दा देवी पत्नि श्री कजोड
2. मन्ना पुत्र तेजा
3. मांगी पत्नि तेजा
4. नारायण पुत्र घन्ना
5. पूरण पुत्र घन्ना

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सिंगवाडा तहसील लवाण जिला दौसा।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण जिला दौसा।
7. उप पंजीयक लवाण जिला दौसा।
8. बैंक ऑफ बडोदा शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक।

(प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :- श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता वादी।

:: निर्णय ::

दिनांक : 28.02.2024

उक्त उनवानी प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.01.2023 को जारी की जाकर तहसीलदार लवाण से तकास्मा स्कीम तलब की गयी। उक्त तकास्मा स्कीम तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) लवाण से पत्रांक भू-अ0/2023/182 दिनांक 16.05.2023 को प्राप्त हुई।


उप जिला कलक्टर
लवाण



प्र.स.- 35/2021(GCMS2021/138)

दायर दिनांक :-18.01.2021

निर्णय दिनांक :- 28.02.2024


बहस वादीगण सुनी गयी। रिकोर्ड का अवलोकन किया। हमारे विनम्र अभिमत से उक्त तकास्मा स्कीम स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना विधिसंगत है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में दावा वादीगण निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार लवाण से प्राप्त तकास्मा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस इस निर्णय का भाग रहेगा।

1. महेश पि० कजोड जाति बलाई खसरा नम्बर 1082/1 रकबा 0.05 है० एवम खसरा खसरा नम्बर 1600/1 रकबा 0.07 है० कुल किता-2 कुल रकबा 0.12 हैक्टर।
2. चन्दा देवी पत्नि कजोड हिस्सा 1/5 तेजा पुत्र गोपाल हिस्सा 2/5, पूरन पुत्र धन्ना हिस्सा 2/15, भूला पत्नि धन्ना हिस्सा 2/15 जाति बलाई सा० खातेदार खसरा नम्बर 1082/2 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 1600/2 रकबा 0.33 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 हैक्टर।

अतः तहसीलदार लवाण को निर्देश दिए जाते कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हो।

उक्त निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांक 28.02.2024 लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित व उच्चारित किया गया।


बद्रीनारायण मिश्रा (आर.एस.)
उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
लवाण